पे जाक

शिव प्रकाश गुप्त, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

तंवा में

मिट्न, केन्द्रियं माध्यमिक शिक्षा परिष्ठत, शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नहींदिल्ली ।

पिछा १७१ अनुभाग नवनऊ: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2004 विष्ठा:- न्यू एन्जिल्स सी नियर सेकेण्डरी स्कूल प्रतापगढ़ उ०प्र० को सी विशेषण्या नहींदिल्ली से संबद्धता हेतु अनाप त्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय.

\$ 43

उपर्युक्त विषय की और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये पुँ वह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विधालय को सीठबीठएसठडींठ नर्इंदिल्ली ते संबद्धता हेतु अनापरित्त प्रपाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपक्ति नहीं है :-

राह्य विद्यालय की प्रंजी कृत तो सायटी का सम्य-सभय पर नदी नी करण कराया जानेगा १

121 जिल्ला के प्रबंध समिति में काला निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा। 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिवात स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के पेथावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ०प्र०मा० विश्वा परिषद्ध/ बेसिक विश्वा परिषद द्वारा संगानित विद्यालयों में विश्विन कक्षाओं के लिए निधारित शलक से अधिक शलक नहीं लिया जायेगा।

संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय साध्यसिक शिक्षा परिषद अथवा बैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यसिक शिक्षा परिषद को सिल फार दि डिण्डियन स्कूल सटी फिकेट इक्जा मिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र0 साध्यसिक शिक्षा परिषद दारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

MANAGER

NEW ANGELS SR. SEC. SCHOOL

PRATAPGARH, U.P.

---2-

151 संस्था के शिक्षिक एवं शिक्षणत्तार कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुपन्य वेतनसानों तथा अन्य अत्तों से हर वेतनसान तथा अन्य भले नहीं दिये जायेगें।

161 कर्मवारियों की सेवा शर्त बनायों जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर साध्ययिक विद्यालयों के कर्मवारियों की अनुसन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध क्राये जायेगें।

१७ राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धना पर जा भी आहेग निर्मत किये जामें तंस्था उनला पालन करेगी ।

181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र /पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

191 उन्त इति भें राज्य सरकार तैयूवानुयोदन के विना कोई परिवर्तन/ संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

i 101 विद्यालय द्वारा एक माह में अप्रशिक्षित अध्यापक के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त कर लिये जायेगें।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की यूक या शिथिनता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदक्त अनापक्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

। शिव प्रकाश गुण्त । संयुक्त संचिव ।

पृ०सं० एवं दिनां क तदेव

प्रतिनिपि निम्ननिष्ठित को सूचनार्थ स्वं आवश्यक कार्यवाही हेतु गैजित :-फिशा निदेशक उत्तर प्रदेश।

2- मण्डलीय तंपुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद ।

उ– जिला विधालय निरीक्षक, प्रतापगढ़।

- निरीक्षक, आरंग्ल भारतीय विधालय, उ०५०, लखनऊ ।

प्रबंधक, न्यू शन्जिल्स सी नियर सेकेण्डरी हकून प्रतापगढ़।

6- गार्ड बुक ।

। शिम प्रकाश गुण्त । संयुक्त सचिव ।

MANAGER
NEW ANGELS SR. SEC. SCHOOL
PRATAPGARH, U.P.

9